

ELECTION OF VICE-PRESIDENT OF INDIA

Why in the News?

Recently, Jagdeep Dhankar took the oath of office to become the 14th Vice President of India.

Key Points

OFFICE OF THE VICE-PRESIDENT

- This office is modelled on the lines of the American VicePresident.
- Warrant of Precedence: Vice-President is accorded a rank next to the President in the official warrant of precedence.
- Tenure: The Vice-President holds office for a term of five years from the date on which he enters his office.
 - O However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the President.
- He acts as the ex-officio Chairman of Rajya Sabha.
- Officiating President: He can act as President only for a maximum period of six months within which a new President has to be elected.
- Membership of House: Under the Constitution, the Vice-President "shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State".
 - o If a member of any of these Houses is elected to the post, "he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Vice-President"
- The Constitution has **not fixed any emoluments** for the Vice-President in that capacity.
 - He draws his regular salary in his capacity as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha.
- **Election Disputes:** All doubts and disputes in connection with election of the Vice-President are inquired into and decided by the Supreme Court whose decision is final.



CONDITIONS OF THE VICEPRESIDENT'S OFFICE

- He should not be a member of either House of Parliament or a House of the state legislature.
 If any such person is elected Vice-President, he is deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters his office as Vice-President.
- He should not hold any other office of profit.

Qualifications:



- He should be a citizen of India.
- He should have completed 35 years of age.
- He should be qualified for election as a member of the Rajya Sabha.
- He should not hold any office of profit under any government or any other public authority.

Vacancy in the Vice-President's office:



- On the expiry of his tenure of five years.
- By his resignation.
- On his removal.
- By his death.
- When he becomes disqualified to hold office or when his election is declared void

Removal:



- A formal impeachment is not required for his removal.
- A resolution of the Rajya Sabha passed by an absolute majority and agreed to by the Lok Sabha.
- No such resolution can be moved unless at least 14 days' advance notice has been given.
- No ground has been mentioned in the Constitution for his removal.

Imortant Articles and its subject Matter



- Article 63 : The Vice-President of India
 Article 64 : The Vice-President to be as a second of the president to be a s
- Article 64 : The Vice-President to be ex-officio Chairman of the Rajya Sabha
- Article 66 : Election of Vice-President
- Article 67 : Term of office of Vice-President
- Article 69 : Oath or affirmation by the Vice-President
- Article 70 : Discharge of President's functions in other contingencies



FUNCTIONS OF VICE-PRESIDENT

- He acts as the ex-officio Chairman of Rajya Sabha.
- He acts as President when a vacancy occurs in the office of the President due to his resignation, removal, death or otherwise.
 - He can act as President **only for a maximum period of six months** within which a new President has to be elected.

ELECTION

- Article 66 lays down the process of the election of the Vice-President.
- The Vice-President, like the President, is elected not directly by the people but by the method of indirect election.
- He is elected by the members of an **electoral college** consisting of the members of both Houses of Parliament.
- Composition of Electoral College:
 - o It consists of both elected and nominated members of the Parliament (in the case of the President, only elected members).
 - o It does not include the members of the state legislative assemblies (in the case of the President, the elected members of the state legislative assemblies are included).
- The Vice-President can hold office beyond his term of five years until his successor assumes charge.
 - He is also eligible for re-election to that office.
- All doubts and disputes in connection with the election of the Vice-President are inquired into and decided by the Supreme Court whose decision is final.

INDIAN VICE-PRESIDENT VIS-I-VIS AMERICAN VICE-PRESIDENT

- Though the office of the Indian Vice-President is modelled on the lines of the American Vice-President, there is a difference.
- The American Vice-President succeeds to the presidency when it falls vacant and remains President for the unexpired term of his predecessor.
- The Indian Vice-President does not assume the office of the President when it falls vacant for the unexpired term.
- He merely serves as an **acting President** until the new President assumes charge.



भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव


खबरों में क्यों?

हाल ही में, जगदीप धनखड ने भारत के १४वें उपराष्ट्रपति बनने के लिए पद की शपथ ली।

प्रमुख बिंदु

उपराष्ट्रपति का कार्यालय

- यह कार्यालय अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर तैयार किया गया है।
- **वरीयता का अधिपत्र:** उपराष्ट्रपति को वरीयता के आधिकारिक अधिपत्र में राष्ट्रपति के बगल में एक रैंक दिया जाता है।
- कार्यकाल: उपराष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करता है।
 - o हालाँकि, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित करके अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
- वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है।
- **कार्यवाहक राष्ट्रपति:** वह केवल छह महीने की अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है जिसके भीतर एक नया राष्ट्रपति चुना जाना है।
- **सदन की सदस्यता:** संविधान के तहत, उपराष्ट्रपति "संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा"।
 - o यदि इन सदनों में से किसी एक के सदस्य पद के लिए निर्वाचित होता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तारीख को खाली कर दिया है जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है।
- संविधान ने उपराष्ट्रपति के लिए उस क्षमता में कोई परिलब्धियां तय नहीं की हैं।
 - o वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करते हैं।
- **चुनाव विवाद:** उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है।



उपराष्ट्रपति कार्यालय की शर्ते

- वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता है, तो यह समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तिथि को रिक्त कर दिया है। जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है।
- उसे कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।

योग्यताएं:



- व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए
- व्यक्ति ३५ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।
- निर्वाचन के समय सरकार या किसी अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत लाभ के पद पर न हो।

पदावधि एवं पद रिक्ति की स्थिति:



- उनके पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति पर
- उनके इस्तीफे पर उनके इस्तीफे पर
- उनकी मृत्यु के बाद
- जब वे चुनाव घोषित होने पर पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाते हैं

हटाने की प्रक्रिया:



- विघटन के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है।
- राज्य सभा में प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित हो गया हो और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की गई हो।
- ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम 14
- दिन की अग्रिम सूचना न दी गई हो।
 उप राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में संविधान में कोई आधार नहीं बताया गया है।

महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनकी विषय वस्तु:



- अनुच्छेद ६३ : भारत के उपराष्ट्रपति
- अनुच्छेद ६४: उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
- अनुच्छेद ६६: उपराष्ट्रपति का चुनाव
- अनुच्छेद ६७ : उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
- अनुच्छेद ६९: उपराष्ट्रपति की शपथ और स्वीकृति
- अनुच्छेद ७० : अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन



उपराष्ट्रपति के कार्य

- वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है।
- वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब राष्ट्रपति के कार्यालय में उनके इस्तीफे, हटाने, मृत्यु या अन्यथा के कारण कोई रिक्ति होती है।
 - o वह केवल छह महीने की अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है जिसके भीतर एक नया राष्ट्रपति चुना जाना है।

चुनाव

- अनुच्छेद ६६ उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।
- उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की तरह, सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति से चुना जाता है।
- वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
- निर्वाचक मंडल की संरचना:
 - o इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं (राष्ट्रपति के मामले में, केवल निर्वाचित सदस्य)।
 - o इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं (राष्ट्रपति के मामले में, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं)।
- उपराष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पांच वर्ष की अवधि के बाद भी पद धारण कर सकता है।
 - o वह उस कार्यालय के लिए फिर से चुनाव के लिए भी पात्र है।
- उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है

भारतीय उप-राष्ट्रपति बनाम अमेरिकी उपराष्ट्रपति

- हालांकि भारतीय उपराष्ट्रपति का कार्यालय अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन इसमें अंतर है।
- अमेरिकी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए तब चुना जाता है जब वह रिक्त हो जाता है और अपने पूर्ववर्ती की असमाप्त अवधि के लिए राष्ट्रपति बना रहता है।
- भारतीय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं करता है जब वह असमाप्त अवधि के लिए खाली हो जाता है।
- वह केवल एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण नहीं करता।